रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2006/चैत्र 17, 1928
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2006/CHAITRA 17, 1928

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2006

सं. एक्जिम/पेंशन/2006/फा. सं. 11/3/2003-आईआर(खण्ड 2).—भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 27 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मण्डल केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमावली, 2006 कहलायेंगे;

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय वे शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 2000 में

(i) विनियम 2 के खंड (छ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात:-

"(छ) 'बच्चे' से कर्मचारी का ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जो यदि पुत्र है तो उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो और यदि वह पुत्री है तो वह अविवाहित हो तथा उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो। इसमें ऐसा पुत्र या पुत्री शामिल है जो विधिक रूप से गोद लिया गया (गयी) है और "बच्चों" की अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;"

(ii) विनियम 2 के खंड (ढ) के लिए निम्नलिखित के खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(ढ) किसी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ (क) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी अथवा महिला कर्मचारी के मामले में उसका पति है, (ख) न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुई पत्नी अथवा पति बशर्ते ऐसा संबंध विच्छेद जारकर्म के आधार पर प्रदान न किया गया हो तथा जीवित उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म करने का दोषी न माना गया हो; (ग) ऐसा पुत्र है जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और ऐसी अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/परित्यक्ता पुत्री है जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तथा इसमें विधिक रूप से गोद लिया गया पुत्र अथवा पुत्री शामिल है; और (घ) माता पिता जो कर्मचारी पर उस समय पूर्णतः आश्रित थे जब वह जीवित था / थी बशर्ते कि दिवंगत कर्मचारी की कोई विधवा/विधुर न हो और न ही कोई बच्चा हो ।"

(iii) विनियम 2 के खंड (द) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(द)' वेतन ' में निम्नलिखित शामिल हैं,-

(क) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो जनवरी 1986 के प्रथम दिन या उसके बाद परंतु जुलाई 1993 के प्रथम दिन से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो-

(i) अवरुद्धता वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, सहित मूल वेतन; और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महँगाई भत्ता की अदायगी करने के प्रयोजन के लिए गिने जानेवाले सभी भत्ते;

(ख) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो जुलाई 1993 के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो -

(i) अवरुद्धता वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, सहित मूल वेतन; और

(ii) 'भविष्य ' निधि में अंशदान करने तथा महँगाई भत्ता की अदायगी करने के प्रयोजन के लिए गिने जानेवाले सभी भत्ते; और

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतन वृद्धि घटक ;

(iv) औद्योगिक कामगारों की शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1148 अंकों की सूचकांक संख्या तक का हिसाब लगाया गया महँगाई भत्ता शामिल है ।

(ग) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो -

(i) अवरुद्धता वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, सहित मूल वेतन; और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महँगाई भत्ता की अदायगी करने के प्रयोजन के लिए गिने जानेवाले सभी भत्ते; और

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतन वृद्धि घटक; और

(iv) औद्योगिक कामगारों की शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1616 अंकों की सूचकांक संख्या तक का हिसाब लगाया गया महँगाई भत्ता शामिल है;

स्पष्टीकरण : -

इस उप नियम के प्रयोजन के लिए वेतन तथा नियत वैयक्तिक वेतन के अन्य घटकों से यथा लागू वेतनमान की दृष्टि से कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन, वेतन के अन्य घटक और नियत वैयक्तिक भत्ते और वेतन के अन्य घटकों के 1 अप्रैल 1998 से पूर्व देय दरें अभिप्रेत होंगी;"

(iv) विनियम 12 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"12. निधियों का निवेश

निधि में अंशदान की गई अथवा उस तारीख के बाद किसी ब्याज या किसी अन्य रूप में निधि को प्राप्त या उपचित होनेवाली समस्त धन राशि को भारत में डाक घर बचत बैंक खाते में अथवा किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाते में या बचत खाते में जमा की जाएं अथवा पेंशन विनियमावली के अनुसार पेंशन लाभ का भुगतान करने के लिए उपयोग की जाएं और ऐसी धनराशियों को जमा या उपयोग न की गई धन राशि की सीमा आयंकर नियमावली 1962 के नियम 67 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके में निवेश किया जाएगा ।

(v) विनियमावली 31 में के खंड (क) में "सेवा" शब्द के बाद "और" शब्द जोड़ा जाएगा;

(vi) विनियमावली 32 में के खंड (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

"(1) जो कर्मचारी दंड के रूप में अथवा आचरण, अनुशासन और अपील विनियमावली 1983 अथवा सेवा की शर्तों के अनुसार 1 नवंबर 1993 को या उसके बाद सेवा से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी द्वारा ऐसी दर से पेंशन मंजूर की जा सकती है जो ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी हो जो दर उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पूरी पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और पूरी पेंशन से अधिक न हो बशर्ते की वह उक्त तारीख को अधिवर्षिता प्राप्त होने पर ऐसी पेंशन का अन्यथा हकदार था ।"

(vii) विनियम 33 में, उप-विनियम (2), के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

" (2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में दिये गये उपबंधों से दिवंगत कर्मचारी का परिवार नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पेंशन या पारिवारिक पेंशन, जैसा भी मामला हो, के लिए पात्र होगा ।

(viii) विनियमावली 34 में उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

"(1) मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, को परिशिष्ट-। में दिये गये सूत्र के अनुसार अद्यतन किया जाएगा । ";

(ix) विनियम 35 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

"35. न्यूनतम पेंशन : -

पेंशन की न्यूनतम राशि निम्नलिखित अनुसार होगी, -

(क) ऐसे किसी कर्मचारी के मामलें में जो जुलाई 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में हैं, तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रति माह ;

(ख) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में जो जुलाई की 1993 पहली तारीख को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए हैं, सात सौ बीस रुपये प्रति माह ;

(ग) 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद सेवा निवृत हुए कर्मचारियों के संबंध में एक हजार पंद्रह रुपये प्रति माह । "

(x) विनियम 38 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (ii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(ii) सेवा निवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में इस उप-विनियम के खंड (क) (4) के अधीन यथा निर्धारित पारिवारिक पेंशन सात वर्षों की अवधि अथवा उस तारीख तक की अवधि जिसको मृत कर्मचारी सेवानिवृत्त तब हुआ होता जब जीवित रहने पर उसने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर ली होती । इन दोनों अवधियों में से जो अवधि कम होगी उसके लिए पेंशन देय होगी ।

बशर्ते ऐसे किसी भी मामले में इस खंड के अंतर्गत निर्धारित परिवार पेंशन की राशि बैंक से सेवानिवृत्त पर प्राधिकृत पेंशन राशि से अधिक नहीं होगी । यदि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन सामान्य दरों पर परिवार पेंशन की राशि से कम है तो परिवार को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन की अनुमति दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : - इस उप-खंड के प्रयोजनार्थ 'सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन में पेंशन का वह हिस्सा शामिल है जिसका सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पहले संराशीकरण किया हो ";

(xi) विनियमावली 39 में, उप-विनियम (1) के खंड (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात :-

" (ख) पुत्र या पुत्री (विधवा या परित्यक्ता सहित) के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/लेती है अथवा उसके विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी अवधि पहले हो :

बशर्ते जब पात्र पुत्र या पुत्री सरकारी या निजी क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार आदि से प्रति माह रुपये 2550/- से अधिक राशि कमाना शुरू कर देती है तो पुत्र या पुत्री (विधवा या परित्यक्ता सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दिया जाएगा या स्वीकार्य नहीं होगा ।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री किसी विसंगति (डिसआर्डर) अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रसित हो अथवा वह शारीरिक रूप से इतना (इतनी) विकलांग अथवा असमर्थ हो कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन यापन करने के लिए अर्जन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को उसके जीवनभर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन देय होगी, अर्थातः

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक बच्चों में से एक है तो पारिवारिक पेंशन प्रारंभिक रूप से अवयस्क बच्चे को उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में निर्धारित क्रम से तब तक देय होगी जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और इसके बाद पारिवारिक पेंशन उस पुत्र अथवा पुत्री के पक्ष में फिर से लागू की जाएगी जो विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रसित है अथवा जो शारीरिक रूप से विकलांग अथवा असमर्थ है तथा वह उसे उसके जीवनभर देय होगी;

(ii) यदि विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे एक से अधिक बच्चे हों तो पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम से अदा की जाएगी तथा उसमें सबसे छोटा बच्चा पारिवारिक पेंशन उसके बाद ही प्राप्त करेगा जब उससे ठीक बड़ा बच्चा उसके बच्चे का पेंशन के लिए पात्र होना बंद हो जाता है :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ ऐसे दो बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिये हैं वहाँ वह उप-विनियम (1) के खंड (च) में निर्धारित विधि से अदा की जाएगी;

(iii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन एक अभिभावक के माध्यम से अदा की जाएगी मानो की वह एक अवयस्क हो और इसका अपवाद शारीरिक रूप से विकलांग ऐसा पुत्र अथवा पुत्री का मामला होगा, जिसने वयस्कता आयु प्राप्त कर ली हो;

(iv) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी इसका संतोष कर लेगा कि विकलांगता ऐसे स्वरूप की है जो उसे अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करने से रोकती है और इसका साक्ष्य बैंक द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सा अधिकारी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा जिनमें यथासंभव यह निर्धारित किया गया हो कि बच्चे की ठीक-ठीक मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति क्या है;

(v) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री का अभिभावक रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथवा अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करने वाला ऐसा पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीन वर्षों में बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त होना जारी है अथवा उसकी शारीरिक रूप से विकलांगता अथवा असमर्थ होना जारी है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा से बाद की अवधि में असमर्थ बच्चों की पारिवारिक पेंशन का प्रदान किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थातः-

(i) पुत्री के मामले में वह उस तारीख से पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र बन जाएगी जिस तारीख को वह विवाहित हो जाती है;

(ii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को देय पारिवारिक पेंशन तब बंद हो जाएगी तब वह स्वयं अपने जीवन यापन के लिए अर्जन करना प्रारंभ कर देता है / देती है । ऐसे मामलों में अभिभावक अथवा पुत्र अथवा पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह बैंक को यह प्रमाणपत्र पेश करे कि -

(अ) उसने अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करना प्रारंभ नहीं किया है;

(आ) पुत्री के मामले में उसने अभी तक विवाह नहीं किया है;

(ग) माता पिता के मामले में, यदि सरकारी या निजी क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोजगार आदि से पिता या माता किसी एक की आय या माता पिता दोनों की कुल आय प्रति माह रुपये 2550/- से अधिक हो जाती है तो उन्हें देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दिया जाएगा या स्वीकार्य नहीं होगा ।

(xii) विनियम 39 में, उप-विनियम (4) के खंड (क), (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात :-

" (क) यदि जीवित रहने वाला बच्चा अथवा बच्चे, विनियम 38 के उप विनियम (3) के खंड़ (क) के उप खंड (i) और खंड (ख) के उप खंड (i) में उल्लिखित दरों से दो पारिवारिक पेंशन आहरित करने के पात्र हैं तो दोनों पेंशनों की राशि निम्नलिखित तक सीमित होगी -

(i) 1 जुलाई 1993 से पहले सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति माह,

(ii) 1 जुलाई 1993 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में चार हजार आठ सौ रुपये प्रति माह;

(iii) 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में छह हजार सात सौ छप्पन रुपये प्रति माह;

(ख) यदि पारिवारिक पेंशनों से किसी एक का विनियम 38 के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) और खंड (ख) के उप-खंड (i) में उल्लिखित दरों से देय होना बंद हो जाता है और उसके बदले मे विनियम 38 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर से पारिवारिक पेंशन देय हो जाती है, दोनों पेंशनों की राशि निम्नलिखित तक सीमित होगी :

(i) 1 जुलाई 1993 से पहले सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति माह;

(ii) 1 जुलाई 1993 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में चार हजार आठ सौ रुपये प्रति माह;

(iii) 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों, के संबंध में छह हजार सात सौ छप्पन रुपये प्रति माह ।

(ग) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें विनियम 38 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर से देय हैं - दोनों पेंशनों की राशि निम्नलिखित तक सीमित होगी -

(i) 1 जुलाई 1993 से पहले सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति माह ;

(ii) 1 जुलाई 1993 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में दो हजार चार सौ रुपये प्रति माह ; और

(iii) 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों के संबंध में तीन हज़ार तीन सौ अठहत्तर रुपये प्रति माह ।"

(xiii) विनियमावली 39 में, उप विनियम (5) में खंड (ग) के परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"बशर्ते यदि ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से या हिस्सों का देय होना बंद हो जाने पर, ऐसे हिस्से खत्म नहीं होंगे बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं को तथा /या अन्यथा पात्र अन्य बच्चे या बच्चों को समान हिस्से में देय होंगे और यदि सिर्फ एक विधवा या बच्चा है तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूरा हिस्सा देय होगा । "

(xiv) विनियमावली 39 में, उप-विनियम (5) में खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा अर्थात :-

"(ग क) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनर के पीछे विधवा है किंतु परित्यक्ता पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चे छोड़ गया है, ऐसे पात्र बच्चे पारिवारिक पेंशन की उस हिस्से के लिए हकदार होंगे जो उसकी माता को कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के समय प्राप्त होता, यदि इस प्रकार उसे परित्यक्त नहीं किया गया होता ।

"बशर्ते यदि ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से या हिस्सों का देय होना बंद हो जाने पर, ऐसे हिस्से खत्म नहीं होंगे बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं को तथा /या अन्यथा पात्र अन्य बच्चे या बच्चों को समान हिस्से में देय होंगे और यदि सिर्फ एक विधवा या बच्चा है तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूरा हिस्सा देय होगा । "

(xv) विनियमावली 40 में उप-विनियम (1) के परंतुक में शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े "उप विनियम (4)" के लिए शब्द, कोष्ठक तथा आंकड़े उप-विनियम (5)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(xvi) विनियमावली 40 में उप-विनियम (4) की सारणी के अंत में दी गई टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

" टिप्पणी :

उपर्युक्त सारणी में पेंशनर के अगले जन्म दिन की आयु के संदर्भ में खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त पेंशन का सरांशीकरण मूल्य दर्शाया गया है । अट्ठावन वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशित मूल्य 10.46 वर्षों की खरीद है और इसलिए यदि वह अपनी सेवानिवृत्त के एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन के सौ रुपयों का संराशीकरण करता है तो उसे देय एक मुश्त राशि हिसाब लागाने पर 100 रुपये × 10.46×12 = 12,552/- रुपये होती है ।

(xvii) विनियमावली 40 में उप-विनियम (4) की सारणी के अंत में दी गई टिप्पणियों के बाद निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे अर्थात : -

(5) जिस कर्मचारी ने पेंशन का स्वीकार्य भाग सरांशित किया है वह इसका पात्र होगा कि वह संराशित की तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद उसे बहाल कर ले ।

(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक पेंशन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पेंशन, समय पूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्तता पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है वह इस विनियमावली के अधीन अपनी पेंशन के एक अंश का संराशीकरण करने का पात्र होगा ।

बशर्ते 1 जुलाई 2003 को तथा से, ऐसे आवेदक के मामले में जिसके मामले में पेंशन का संराशित मूल्य उसकी सेवानिवृत्त की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण के परिपूर्ण होने की तारीख से देय होता है, संराशीकरण के करण पेंशन की राशि की कमी उसकी शुरुआत से लागू होगी। तथापि जहां पेंशन के संराशित मूल्य का भुगतान सेवा निवृत्त की तारीख के बाद पहले महीने के भीतर या संराशीकरण के पूर्ण होने की तारीख के बाद पहले महीने के भीतर नहीं किया जाता है, सामान्य मासिक वेतन और संराशित पेंशन के बीच अंतर राशि संराशीकरण के परिपूर्ण होने की तारीख और पेंशन के संराशित मूल्य की अदायगी की मान्य तारीख के बाद की तारीख के बीच की अवधि के लिए अदा की जाएगी।

(7) जो पेंशनर अधिवर्षिता पेंशन अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है उसके मामले में किसी डॉक्टरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते संराशीकरण का आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया गया हो । परंतु यदि पेंशनर अपनी सेवानिवृत्ति के तारीख से एक वर्ष के बाद पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी अनुमति डॉक्टरी परीक्षा के अधीन दी जाएगी ।

बशर्ते ऐसे आवेदक के मामले में जिसे विनियम 45 के अनुसार अंनतिम पेंशन मिल रहा और जिसके लिए पेंशन विभागीय न्यायिक कार्रवाई के पूरा होने पर पूर्णतः या आंशिक रूप में पेंशन प्राधिकृत की गई है, इस उप-विनियम में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि की गणना विभागीय न्यायिक कार्रवाई के पूरा होने पर आदेशों के जारी करने की तारीख से की जाएगी ।

(8) जो आवेदक -

(i) इस विनियमावली के विनियम 29 के अधीन अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्ति होता है; अथवा

(ii) जो इस विनियमावली के विनियम 30 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है; अथवा

(iii) जो बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है जो विनियम 32 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र हैं

उसके द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे योग्य घोषित कर देने के बाद वह उप विनियम (1) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अपने पेंशन का एक अंश संराशित करने के लिए पात्र होगा ।

(xviii) विनियमावली 40 में इस प्रकार शामिल किए गए उप-विनियम (5), (6), (7) तथा (8) के बाद मौजूदा उप-विनियम (5) को (9) के रूप में संख्या दी जाएगी ।

(xix) विनियम 47 के उप-विनियम (2) को उसके उप-विनियम (3) के रूप में पुनः संख्या दी जाएगी और इस प्रकार पुनः संख्या दिए गए उप विनियम (3) से पूर्व निम्नलिखित उप विनियम शामिल किया जाएगा अर्थात:-

"(2) कोई भी विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए घटना के चार वर्ष के भीतर संस्थित नहीं की जाती है, ऐसी घटना के संबंध में संस्थित नहीं की जाएगी जो ऐसी संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई है । बशर्ते घटना के चार वर्षों के भीतर इस प्रकार संस्थित अनुशासनिक कार्रवाई कर्मचारी सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी ।";

(xxi) परिशिष्ट -1 के लिए निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

परिशिष्ट - I

[विनियम 34 (1) देखिये]

(क) जो कर्मचारी 01-01-1986 से 31-10-1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन अद्यतन बनाने के सूत्र नीचे लिखे अनुसार होंगे :-

(1)अ. (क) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के पहले 1,000/- रुपये का 50 प्रतिशत _____रुपये

(ख) अगले 500 रुपये का 45 प्रतिशत _____रुपये

(ग) पेंशन के लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों के 1500 रुपयों से अधिक का 40 प्रतिशत _____रुपये

(क+ख+ग) का कुल योग _____रुपये (अ)

आ. सेवानिवृत्ति से पहले की सेवा के पिछले 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत _____रुपये(आ)

इ. नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपर्युक्त (अ) से हिसाब लगाई मूल पेंशन के लिए औद्योगिक कामगार शृंखला 1960 =100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक संख्या 600 पर महंगाई राहत _____रुपये (इ)

ई. कुल मूल पेंशन

= (आ) + (इ) × वर्षों की संख्या = अर्हक सेवा (अधिकतम 33 वर्ष) के बराबर _____रुपये(ई)

33

उ. 1-11-1993 को मूल पेंशन (अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित) _____रुपये(उ)

10636G/06-3

(1) अतिरिक्त पेंशन के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, अधिकारी सेवा विनियमावली की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने की हकदार होने वाली निधि की सीमा तक ऐसे विशेष भत्ते जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्तों के बराबर हों ।

सारणी

सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1-1-1986 से 31-10-1987 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक कामगार शृंखला 1960=100 के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या 600 से हिसाब लगाई गई महंगाई राहत की दरें नीचे लिखे अनुसार होंगी ।

1. अधिकारी संवर्ग में कर्मचारी निम्नलिखित रूप में मंहगाई राहत के लिए पात्र होंगे :

(i) 765/- रुपये मासिक तक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	अधिकतम 500/- रुपये के अधीन उपर्युक्त अ में हिसाब लगाये अनुसार पेंशन की राशि का 66 प्रतिशत
(ii) 766/- रुपये से लेकर 1165/- रुपये मासिक या इससे अधिक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	500/- रुपये
(iii) 1166/- रुपये मासिक या इससे अधिक की मूल पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों के लिए	715/- रुपये की अधिकतम राशि के अधीन उपर्युक्त अ के अनुसार हिसाब लगाई पेंशन की राशि का 42.90 प्रतिशत

2. 1-7-1993 को या उसके बाद परंतु 1-5-1994 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के संबंध में मूल पेंशन को अद्यतन करने के लिए सूत्र निम्नलिखित होगा :-

(1) अर्हक सेवा के पिछले 10 माह के दौरान पुराने वेतन मानों के अनुसार माह/माहों का आहरित कुल वेतन _____रुपये

(2) उपर्युक्त (1) में हिसाब लगाये गये प्रत्येक माह के वेतन के लिए वास्तव में आहरित महँगाई भत्ते अथवा 1148 अंकों का महँगाई भत्ते में से जो भी कम हो _____रुपये

(3) उपर्युक्त (1) के अनुसार आहरित कुल वेतन और उसमें उपर्युक्त (2) के अनुसार कुल महँगाई भत्ता जोड़कर निकाली गयी कुल राशि _____रुपये

(4) जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसके सहित अर्हक सेवा के पिछले 10 माह के दौरान माह/माहों के संशोधित वेतनमानों के अनुसार आहरित कुल वेतन

(5) स्तंभ (3) और (4) का जोड़ _____रुपये

(6) पेंशन के प्रयोजन के लिए औसत परिलब्धियां अर्थात
उपर्युक्त (5) के अनुसार कुल जोड़

(7) अद्यतन की गई मूल पेंशन उपर्युक्त (6) × का _____रुपये

50% अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)

33

(8) मूल पेंशन (अगले अधिक रुपये तक पूर्णांकित) _____रुपये

3. जो अधिकारी जुलाई, 1993 पहली तारीख की अथवा उसके बाद परंतु नवंबर, 1994 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनके विशेष भत्तों की जो राशि अधिकारी सेवा विनियमावली के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में आहरित विशेष भत्तों के बराबर होगी उसकी पहली नवंबर 1994 से लागू अतिरिक्त पेंशन का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए संगणना की जाएगी ।

परंतु यह शर्त है कि नवंबर 1992 की पहली तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख में से जो भी बाद में आती हो उससे अक्तूबर 1994 की 31 तारीख तक की विशेष भत्ते की जो राशि भविष्य निधि की संशोधित की गई दरों से पहले की दरों से हकदार होगी उसकी अतिरिक्त पेंशन का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए संगणना की जाएगी ।

4. ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जो नवंबर 1994 की पहली तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान संशोधन पूर्व तथा संशोधित दरों दोनों पर विशेष भत्ता आहरित किया है, सेवानिवृत्ति के समय वस्तुतः आहरित पूर्व संशोधित विशेष भत्ते के अनुरूप अधिकारी सेवा विनियमावली के अनुसार विशेष भत्ते की राशि की गणना अतिरिक्त पेंशन के परिकलन के प्रयोजनार्थ की जाएगी ।

टिप्पणी :

1 नवंबर 1994 की पहली तारीख को या उसके बाद आहरित संशोधित विशेष भत्ते की राशि की गणना मूल पेंशन के परिकलन के लिए की जाएगी ।

एस. आर. राव, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/IV/65/2005-असा.]

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली 2000 को 20 सितंबर 2000 के शासकीय राजपत्र के भाग III में अधिसूचना संख्या एक्ज़िम/पेंशन/2000 के जरिए प्रकाशित किया गया था और बाद में भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए संशोधित किया गया :-

अधिसूचना संख्या	**प्रकाशन की तारीख**
(1) संख्या एक्ज़िम/पेंशन 2002	17 मई, 2002
(2) संख्या एक्ज़िम/पेंशन / 2003	8 नवंबर - 14 नवंबर, 2003

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2006

No. EXIM/Pension/2006/F. No. 11/3/2003-IR(Vol. II).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 39 read with Sub-section (3) of Section 27 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of the Export-Import Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Export-Import Bank of India (Employee's) Pension Regulations, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Export-Import Bank of India (Employee's) Pension(Amendment) Regulations, 2006.

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export-Import Bank of India (Employee's) Pension Regulations, 2000, -

(i) in regulation 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

"(g) 'Child' means a child of the Employee, who, if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age, including such son or daughter adopted legally and the expression 'children' shall be construed accordingly;";

(ii) in regulation 2, for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :-

"(n) 'Family' in relation to an employee means, - (a) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee; (b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery; (c) son or unmarried daughter or widowed/divorced daughter, who has not attained the age of twenty five years, including such son and daughter adopted legally and (d) parents who were wholly dependent on the employee when he / she was alive, provided the deceased employee had left behind neither a widow / widower nor a child.";

(iii)in regulation 2, for clause (r), the following clause shall be substituted, namely :-

" (r)'Pay' includes,-

(a) in relation to an employee who had either retired or died on or after the 1st day of January ,1986 but before the 1st day of July, 1993,-

(i) the basic pay including stagnation increments, if any, and
(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(b) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the 1st day of July, 1993,-

(i) the basic pay including stagnation increments, if any; and
(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and
(iii) increment component of Fixed Personal Allowance;
(iv) dearness allowance thereon on the above calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100.

(c) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the 1st day of April,1998-

(i) the basic pay including stagnation increments, if any; and
(ii) all other components of pay counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and
(iii) increment component of Fixed Personal Allowance; and
(iv) dearness allowance thereon on the above calculated upto Index number 1616 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100.

Explanation.-

For the purpose of this clause, basic pay, other components of pay and Fixed Personal Pay would mean the basic pay, other components of pay and Fixed Personal Allowance drawn by the employee in terms of the scales of pay as applicable and the rates at which the other components of pay were payable prior to 1st April,1998;";

(iv) for regulation 12, the following regulation shall be substituted, namely :-

"12. Investment of the Fund

All moneys contributed to the Fund or received or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with Pension Regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the manner specified in sub-rule (2) of rule 67 of the Income-tax Rules, 1962.";

(v) in regulation 31, in clause (a), after the word "service;", the word "and" shall be inserted;

(vi) in regulation 32, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after the 1st day of November, 1993 in terms of Export - Import Bank Officers' Conduct, Discipline and Appeal Regulations, 1983 or Service Conditions as may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.";

(vii) in regulation 33, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for pension or family pension as the case may be, with effect from the 1st day of November, 1993.";

(viii) in regulation 34, for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) Basic Pension and additional pension, wherever applicable, shall be updated as per the formulae given in Appendix I.";

(ix) for regulation 35, the following regulation shall be substituted, namely :-

"35. Minimum Pension.-

The amount of minimum pension shall be,-

(a) rupees three hundred and seventy five per month in respect of an employee where the employee had retired before 1st day of July, 1993;

(b) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee where the employee retired on or after the 1st day of July, 1993;

(c) rupees one thousand and fifteen per month in respect of an employee where the employee retired on or after the 1st day of April, 1998.";

(x)in regulation 38, in sub-regulation (3), in clause (a), for sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely :-

"(ii) in the event of death of an employee after retirement, the family pension as determined under clause (a) (i) of this sub-regulation shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty-five years, had he survived, which ever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under this clause shall exceed the pension authorised on retirement from the Bank. If the pension authorised to the employee on his retirement is less than the amount of family pension at the ordinary rates, then, the family shall be allowed family pension at the ordinary rates.

Explanation.- For the purpose of this sub-clause, 'pension authorised on retirement' includes part of the pension which the retired employee might have commuted before death.";

(xi) in regulation 39, in sub-regulation (1), for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely :-

"(b) in the case of a son or daughter (including widowed or divorced) till he or she attains the age of twenty-five years or upto the date of his or her marriage or remarriage, whichever is earlier:

Provided the family pension payable to sons or daughters (including widowed or divorced) shall be discontinued or not admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of Rs.2550/- per month from employment in Government or private sector or self-employment, etc.:

Provided further that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely:-

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (1) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children, it shall be paid in the manner set out in clause (f) of sub-regulation (1);

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the competent authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Explanation.- The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely:-

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases, it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that-

(A) he or she has not started earning his or her livelihood;

(B) in the case of daughter , that she has not yet married;

(c) in the case of parents, the family pension payable shall be discontinued or not admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or private sector or self-employment etc. exceeds two thousand five hundred and fifty rupees per month.";

(xii) in regulation 39, in sub-regulation (4), for clauses (a), (b) and (c) the following clauses shall be substituted, namely :-

"(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and sub clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 38, the amount of both pensions shall be limited to,-

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of July 1993,

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of July, 1993; and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, who retired or died on or after 1st day of April 1998;

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 38 and in lieu thereof the family pension at the rates mentioned in sub-regulation (1) of regulation 38 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to-

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of July 1993;

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of July, 1993; and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after 1st day of April, 1998;

(c) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-regulation (1) of regulation 38, the amount of the two pensions shall be limited to. –

(i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died while in service prior to 1st day of July 1993;

(ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of July, 1993; and

(iii) three thousand three hundred and seventy-eight in respect of employees who retired or died on or after 1st day of April,1998.";

(xiii) in regulation 39, in sub-regulation (5), for the proviso to clause (c), the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child;";

(xiv) in regulation 39, in sub-regulation (5), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ca) where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of the death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child;";

(xv) in regulation 40, in the proviso to sub-regulation (1), for the words, brackets and figure, "sub-regulation (4)", the words, brackets and figure "sub-regulation (5)" shall be substituted.

(xvi) in regulation 40, for the 'Notes' occurring at the end of the Table to sub-regulations (4), the following shall be substituted, namely :-

"Note:

The Table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lumpsum amount payable to him works out to Rs.100x10.46x12 = Rs.12,552/-.";

(xvii) in regulation 40, in sub-regulation (4), after the Notes, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

(5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(6)An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations:

Provided that on and from the 1st July 2003, in case of an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the normal monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date on which commutation becomes absolute and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid.

(7)In the case of a pensioner eligible for superannuation pension, or pension on voluntary retirement, or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if such a pensioner applies for commutation of pension after one

year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional pension as in regulation 45 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

(8) An applicant who,-

(i) retires on invalid pension under regulation 29 of these regulations; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 30 of these regulations; or

(iii) is compulsorily retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 32

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub- regulation (1) after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.";

xviii) in regulation 40, after the sub-regulations (5), (6), (7) and (8) as so inserted, the existing sub-regulation (5) shall be renumbered as (9).

xix) sub-regulation (2) of regulation 47 shall be re-numbered as sub-regulation (3) thereof and before the sub-regulation (3) as so renumbered the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(2) No departmental proceedings, if not instituted within four years of an event, while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institution:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted within four years of an event shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of service.";

(xxi) for Appendix-I, the following Appendix shall be substituted, namely :-

Appendix-I

[See regulation 34(1)]

"1. The formulae for updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period 1.1.1986 to 31.10.1987 shall be as under:-

(1) A.	(a)	50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension.	Rs._____
	(b)	45 per cent of next Rs.500	Rs._____
	(c)	40 per cent of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500	Rs._____
		Total of (a + b + c)	Rs._____(A)
B.		50 per cent of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement	Rs._____(B)
C.		Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100, on basic pension calculated at (A) above, as per Table given below.	Rs._____(C)
D.		Total basic pension =(B) + (C) x Number years of qualifying service (Maximum 33 years) / 33	Rs._____(D)
E.		Basic Pension as on 1.11.1993 (Rounded off to the next higher rupee)	Rs._____(E)

(2) Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Officers' Service Regulations, corresponding to the special allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional Pension.

1063GI/06-6

TABLE

Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 for all classes of employees who retired during the period 1.1.1986 to 31.10.1987

1. Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under :

(i)	For those drawing basic pension upto Rs. 765/- per month	66 per cent of the amount of pension calculated at A above subject to a maximum of Rs. 500
(ii)	For those drawing basic pension from Rs. 766/- to Rs. 1165/- per month	Rs. 500/-
(iii)	For those drawing basic Pension of Rs. 1166/- per month or above	42.90 per cent of amount of pension calculated as at A above subject to a maximum of Rs. 715

2. The formula for updating basic pension in respect of officers who have retired on or after 1st day of July, 1993 but before 1st day of May, 1994 shall be as under :-

(1)	Total of pay drawn as per the old scales for the month/s during the last 10 months of qualifying service	Rs.
(2)	Total of dearness allowance actually drawn or dearness allowance at 1148 points, whichever is less, for each month of pay calculated at (1) above	Rs.
(3)	Total of pay drawn as per (1) above plus total of dearness allowance drawn as per (2) above	Rs.
(4)	Total of pay drawn as per revised scales of pay for the month/s during the last 10 months of qualifying service including the month in which the employee retired	Rs.
(5)	Total of column (3) and (4)	Rs.
(6)	Average emoluments for the purpose of pension i.e. Total as per (5) above --- 10	Rs.

(7) Updated basic pension Rs.
50% of (6) above x Number of
years of qualifying service (Max. 33 years)

33

(8) Basic pension (Rounded off to next higher rupee) Rs.

3. In respect of officers who have retired on or after the 1st day of July, 1993 but before the 1st day of November 1994 the amount of special allowances in terms of the Officers' Service Regulations, corresponding to the special allowances actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension w.e.f. 1st November, 1994.

Provided that for the period from 1st day of November, 1992 or from the date of retirement, whichever is later, till the 31st of October, 1994 the amount ranking for provident fund at pre-revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension.

4. In respect of employees who have retired on or after the 1st day of November, 1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last 10 months of service before retirement, the amount of special allowance in terms of Officers' Service Regulations, corresponding to the pre-revised special allowance actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension.

Note :
The amount of revised special allowance drawn on or after the 1st day of November, 1994 shall be reckoned for computation of basic pension.

S. R. RAO, Chief General Manager

[ADVT III/IV/65/2005-Exty.]

Note : The Export-Import Bank of India(Employees') Pension Regulations, 2000 were published vide Notification number EXIM/PENSION/2000 in the Gazette of India in part III dated September 20, 2000 and subsequently amended vide the following notifications published in the Gazette of India, Part III, Section 4 :-

Notification No.	Date of Publication
(1) No.EXIM/Pension/2002	May 17, 2002
(2) No.EXIM/Pension/2003	November 8-November 14, 2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.